क्रम-संख्या--657

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०--41

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अक्तूबर, 1983

आश्विन 21, 1905 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2739/सत्रह-वि-1--1(क)-26-1982

लखनऊ, 13 अक्तूबर, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 पर दिनांक 12 अक्तूबर, 1983 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1983

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1983]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) यह 5 अक्तूबर, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधि-नियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 22 का प्रतिस्थापन

2—उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 22 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्—

लेखा और लेखा-परीक्षा

"22—(1) प्राधिकरण उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखा का एक वार्षिक विवरण-पत्र जिसके अन्तर्गत तुलन-पत्र भी है, ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।

(2) प्राधिकरण के लेखा का परीक्षण प्रतिवर्ष स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार स्थानीय निधि लेखा परीक्षक के स्थान पर या उसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक या किसी अन्य लेखा परीक्षक को ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, ऐसी रीति में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय पर जो उसके और राज्य सरकार के बीच तय पाये, सौंप सकती है।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा-परीक्षा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार—

(एक) स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे जो उसे स्थानीय प्राधिकारी की लेखा परीक्षा के संबंध में होते हैं,

(दो) यथास्थिति, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे जो उसे सरकारी लेखा की परीक्षा के संबंध में होते हैं, और

(तीन) किसी अन्य लेखा परीक्षक की स्थिति में वही होंगे जैसा विहित किया जाय,

और विशेषतया, उसे बहियां, लेखा, सम्बद्ध वाउचर, कागज और अन्य दस्तावेज पेश किये जाने की मांग करने का और प्राधिकरण के कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) लेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकरण का लेखा तद्विषयक लेखा परीक्षा रिपोर्ट सहित राज्य सरकार को प्रतिवर्ष या ऐसे समय पर, जैसा उसके द्वारा निदेश दिया जाय, भेजा जायगा। राज्य सरकार प्राधिकरण को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा वह उचित समझे और प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये आबद्ध होगा।

(5) लेखा-परीक्षा के संबंध में लेखा परीक्षक द्वारा उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षक को देय होगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव।

No. 2739(2)/XVII-V-1—1(Ka)-26-1982

Dated Lucknow, October 13, 1983

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojana Aur Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 1983), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 12, 1983:

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 1983

[U.P. Act no. 28 of 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on October 5, 1982.

Substitution of section 22 of President Act no. 11 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974.

2. In the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, hereinafter referred to as the principal Act, *for* section 22, the following section shall be *substituted*, namely.

"22. (1) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance-sheet in such form as the State Government may specify.

Accounts and Audit.

(2) The accounts of the Authority shall be subject to audit annually by the Examiner, Local Fund Accounts :

Provided that in place of or in addition to the Examiner, Local Fund Accounts, the State Government may entrust the audit to the Accountant General, Uttar Pradesh or Comptroller and Auditor General of India or to any other Auditor on such terms and conditions, in such manner, for such period and at such times as may be agreed upon between him and the State Government.

(3) The rights, authority and privileges of any person conducting audit under sub-section (2) shall,—

(i) in the case of Examiner, Local Fund Accounts, be the same as he has in connection with the audit of the accounts of local authority;

(ii) in the case of the Accountant General, Uttar Pradesh or as the case may be, the Comptroller and Auditor General of India, be the same as he has in connection with the audit of Government accounts ; and

(iii) in the case of any other auditor, be as prescribed ;

and, in particular, he shall have the right to demand production of books, accounts, connected vouchers, papers and other documents and to inspect the Office of the Authority.

(4) The accounts of the Authority, as certified by the Auditor or any person appointed by him in that behalf, together with audit report thereon shall be forwarded to the State Government annually or at such times as may be directed by it. The State Government may issue such directions to the authority as it may deem fit and the Authority shall be bound to comply with such directions.

(5) Any expenditure, incurred by the Auditor in connection with the audit, shall be payable by the Authority to the Auditor."

U.P. Ordinance no. 4 of 1982.

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pardesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 1982, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

G. B. SINGH,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 269 सा० (विधा०)—(2516)—1983—750 (मेक०)।